

**न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा**

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-129/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्रीमती विद्या देवी — विक्रेता

प्रति  
श्री विकास कुमार — क्रेता

**-आदेश-**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता श्रीमती विद्या देवी, पति-बाबुलाल राम, ग्राम-नगर उंटारी, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री विकास कुमार, पिता-स्व० शिव कुमार प्रसाद, ग्राम-नगर उंटारी, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के पत्रांक 419/दिनांक 01.10.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहार (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के खानी कहार (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी है। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता श्रीमती विद्या देवी, पति-बाबुलाल राम, ग्राम-नगर उंटारी, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री विकास कुमार, पिता-स्व० शिव कुमार प्रसाद, ग्राम-नगर उंटारी, पोस्ट-नगर उंटारी, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
जंगीपुर	48	पुराना-17 नया-194	पुराना-963 नया-1303	0.03	उ०-सडक, द०-नदी
		पुराना-17 नया-194	पुराना-963 नया-1304	0.08¼	पू०-महेन्द्र राम, प०-बृजमोहन राम
कुल रकबा:-				0.11¼	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंसीधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।